


बिहार विधान परिषद के 172वें सत्र में पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न

<p>श्री केदारनाथ पाण्डेय, मा० सं० वि० प० द्वारा 172वें सत्र में पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न सं०-आर० आर०-3 के संबंध में।</p>	<p>श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा, मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग बिहार, पटना</p>
<p>अल्पसूचित प्रश्न</p>	<p>उत्तर</p>
<p>(क) क्या यह सही है कि दिनांक-01.06.2012 को आये भयंकर तूफान से गोपालगंज जिले के भोरे प्रखंड अंतर्गत तिवारी चकिया गाँव में जानमाल की काफी क्षति हुई,</p>	<p>अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि केवल एक गाय मरी थी तथा कुछ झोपड़ियाँ क्षतिग्रस्त हुई थी।</p>
<p>(ख) क्या यह सही है कि राजस्व पदाधिकारी भोरे ने पत्रांक 690 दिनांक-12.07.12 द्वारा तिवारी चकिया गांव में तूफान से हुई क्षति का आकलन करते हुए मुआवजा देने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी हथुआ (गोपालगंज) को अनुशंसा की है,</p>	<p>स्वीकारात्मक।</p>
<p>(ग) यदि उक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार तिवारी चकिया गाँव के आँधी से प्रभावित लोगों को नियमानुसार मुआवजा का भुगतान कब तक करना चाहती है?</p>	<p>जॉचोपरांत आवेदक को गाय की मृत्यु के एवज में साहाय्य अनुदान के रूप में चेक सं०-327204 दिनांक -28.11.12 द्वारा कुल 16,400 रु० (सोलह हजार चार सौ रु०) तथा दो आवासीय झोपड़ी की क्षति के कारण इनके स्वामियों क्रमशः श्री छटू राम पिता श्री मुनेश्वर राम, ग्राम हुस्सेपुर चौबे टोला एवं श्री रामनरेश चौधरी पिता श्री मंशी चौधरी, ग्राम चकधर्मनाथ को 2500.00 (पच्चीस सौ रूपया) प्रति परिवार की दर से कुल मो० 5,000.00 (पांच हजार रूपया) का अनुदान भुगतान क्रमशः चेक संख्या 327205 एवं 327206, दिनांक-30.11.12 के द्वारा कर दिया गया है।</p>

कृ० पृ० ३०

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक -04 / वि0प0अ0सू0प्र0-41 / 2012 / 4979 / आ0प्र0, पटना-15, दि0-17/12/12
प्रतिलिपि अवर सचिव, बिहार विधान परिषद सचिवालय, पटना को उनके पत्रांक -5199(5)
के क्रम में 03(तीन) प्रतियों में / उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


12-12-12
(सच्चिदानंद चौधरी)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक -04 / वि0प0अ0सू0प्र0-41 / 2012 / 4979 / आ0प्र0, पटना-15, दि0-17/12/12
प्रतिलिपि सुश्री कविता कुमारी, आई0टी0 मैनेजर, आ0प्र0 विभाग को इसे विभागीय वेबसाईट पर
शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित ।


12-12-12

सरकार के अवर सचिव